

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

क्रमांक:- पं. 10(1)प्रसु/सम/अनु-1/2012

जयपुर, दिनांक:- 4.12.2019

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आया है कि राजकीय विभागों/अनुभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य किसी विभाग/अनुभाग में हो जाने पर स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी उनको आवंटित कार्य से संबंधित आवश्यक दस्तावेज व पत्रावलियों की सूची सहित कार्यभार किसी को दिये बिना ही उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाता है। जिससे उनसे संबंधित पत्रावलियां तथा आवश्यक अन्य दस्तावेज मिल नहीं पाते हैं तथा राजकार्य में बाधा उत्पन्न होती है।

अतः सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण होने पर उनके आवंटित कार्य से संबंधित आवश्यक दस्तावेज व पत्रावलियों की सूची सहित विवरण कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी/कर्मचारी या अन्य निर्देशित अधिकारी/कर्मचारी को सुपुर्द करवाकर ही उक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जावे। जिससे पत्रावलियां व अन्य दस्तावेज व्यवस्थित रूप से मिल सकें तथा राजकार्य में तीव्रता, पारदर्शिता व जवाबदेहिता आ सकें।

उक्त निर्देशों की पालना समस्त राजकीय विभाग/कार्यालय/बोर्ड/निगम/आयोग में सुनिश्चित की जावे। निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा और ऐसी स्थिति में सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(डॉ. आर. वैकटेश्वरन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मा. मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. प्रमुख आवासीय आयुक्त/आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड, नई दिल्ली।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. समस्त जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक।
10. समस्त निगम/बोर्ड/आयोग।
11. आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर-प्रचार प्रसार हेतु।
12. रक्षित पत्रावली

11
(अरुण प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव